कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

E-mail-dcourtdam-mp@nic.in *Contact no. 07812-222733 Fax-227733*

—:: निविदा ::—

क्रमांक–2193/नजारत/साईकिल स्टेण्ड/2024–25 दमोह, दिनांक 31 जुलाई 2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर दमोह में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए **माह सितम्बर 2024 से माह मार्च 2025 तक** वाहन स्टैण्ड हेतु ई–निविदाएं की अंतिम तिथि **दिनांक 12.08.2024** को सायंकाल 05:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शर्तो के अधीन संलग्न निविदा फार्म पर **सीलबंद लिफाफे** में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (**पता**–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह म.प्र. पिनकोड 470661) के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं:–

1– वाहन स्टैण्ड हेतु निविदा सलग्न निविदा प्रारूप पर पूर्ति कर **सीलबंद लिफाफे** में रजिस्टर्ड डाक/हमदस्त (**पता**–जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह म.प्र. पिनकोड 470661) के माध्यम से प्रेषित करना होगा।

2– वाहनों के स्टैण्ड पर रखने की दरें–
- (ए) साईकिल रूपये–5/–प्रतिदिन अथवा रूपये–100/–प्रतिमाह।
- (बी) मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/टू–व्हीलर रूपये–10/– प्रतिदिन अथवा रूपये–200/–प्रतिमाह।
- (सी) चार पहिया वाहन रूपये–20/–प्रतिदिन अथवा रूपये–300/–प्रतिमाह होगी।

3– न्यायिक अधिकारियों/तृतीय–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अभिभाषक संघ सदस्यों को वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है, उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निशुल्क पात्रता होगी।

4– लोककल्याण हेतु ठंडे पानी के मटके/प्याऊ स्टैण्ड के समीप स्थापित करनी होगी।

5– ठेके की नीलामी बोली लगाने वाले व्यक्ति को **5000/– (पांच हजार मात्र)** (अर्नेस्ट मनी) अमानत के रूप में जमा कराना होगी।

6– साईकिल स्टेण्ड ठेके की न्यूनतम बोली राशि **70,000/– रूपए** है, उक्त राशि एक मुस्त जमा करनी होगी, नीलामी कार्यवाही दिनांक **20.08.2024** को न्यायालय परिसर, दमोह में समय सुबह 11:00 से शाम 05:00 बजे तक सम्पन्न की जावेगी।

7– निविदा स्वीकृति उपरांत टेण्डर की शर्तो के अनुसार अनुबंध पत्र **(ठेका कार्य)** निष्पादित न करने की दशा में सुरक्षानिधि की राशि बिना सूचना के जप्त कर ली जाएगी।

8– न्यायालय परिसर से साईकिल स्टैण्ड पर वाहन रखने वाले व्यक्ति को ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से कूपन (रसीद) प्रदाय किया जावेगा।

9– ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टेण्ड पर रेट लिस्ट बोर्ड पर बनवाई जाकर साफ–साफ अक्षरों में दर्शाइ जावेगी।

10– वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध–गृहीता की होगी।

11– विभागीय क्रय समिति की सिफारिश पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के अनुमोदन पर तत्काल अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट देने पर ही अधिकतम दर की निविदा स्वीकृत कर शेष राशि जमा करने की सूचना दी जावेगी।

12– नियंत्रणाधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उक्त निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक होंगे।

13– प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रक्रम पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय दमोह के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

14– वार्षिक अनुबंध में चूक होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः अनुबंध प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

संलग्न–निविदा फार्म

31/07/24

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह(म.प्र.)

OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND

1- Rate Quotation of the Tenderer ....

2- Earnest money Rupees : 5,000/- will be deposit till date --------------- time 05:00 PM.

3- PAN No. .... Enclose copy of current Income Tax Return.

4- TIN No. .... Enclose copy of live registration.

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us

Signature ....

Name & address with Seal & Date ....

....

....

....

....

Phone (O) ....

Fax ....

(M) ....

E-mail ....